

SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.

Reg. No. 35 KH Dated 30/1/84
ISO 9001-2000 & HACCP Certified Organisation
Industrial Area, HANUMANGARH JUNCTION- 335512 (Raj.)
Phone No. STD (01552) Phone : 260522, 260588, 260793
Factory : 260735, Fax : 01552-262847

क्रमांक: गंगमूल / पी.एण्ड.आई / 2025 / 12550-54

दिनांक : -11.02.2025

निविदा सूचना

संघ द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए दुग्ध अवशीतन केन्द्र पदमपुर में बोलेरो एसी वाहन (मॉडल 2021 या उसके बाद का) किराये पर लगाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदा प्रपत्र 354/- के नकद भुगतान पर दिनांक 15-02-2025 दोपहर 1 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण भरे हुये निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि 25000/- रुपये डी डी / नकद, दिनांक 15-02-2025 दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार किये जाकर सायं 3 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। निविदा खुलने की दिनांक को यदि अवकाश हो तो अगले दिन निविदायें खोली जावेंगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

क्रमांक/गंगमूल/निविदा/2025/12550-54

दिनांक:- 11-02-2025

प्रतिलिपि:-

1. संपादक दैनिक को भेजकर लेख है कि आप उक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक बार 08 सेमी 0 गुणा 2 कॉलम में संघ के लोगों सहित प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी लेखा / प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासनिक।
3. प्रभारी एमोर्झोसो।
4. अतिरिक्त निजी सचिव प्रबन्ध संचालक
5. नोटिस बोर्ड पीएण्डआई।
6. कार्यालय पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


प्रबन्ध संचालक



Reg. No. 35KH Dated 30/1/84

Sri Ganganagar Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Hanumangarh.
(FSMS ISO 22000:2005 CERTIFIED ORGANIZATION)

निविदा फार्म (बोलेरो एसी) दुग्ध अवशीतन केन्द्र पदमपुर हेतु
मूल्य – 300.00 प्लस 18 प्रतिशत जी एस टी

फार्म संख्या –

श्रीमान प्रबन्ध संचालक महोदय,
गंगमूल डेयरी, हनुमानगढ़ ज0।।

निविदा देने वाले का पूरा नाम व स्थाई पता –

मोबाइल / फोन न0.....

ईमेल आईडी.....

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय व दिनांक :– 15–02–2025 दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र भरकर जमा करवाने का समय व दिनांक :– 15–02–2025 दोपहर 2.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक :– 15–02–2025 दोपहर 3.00 बजे तक
(स्थान संघ पीएण्डआई कार्यालय हनुमानगढ़)

बोलेरो ए सी वाहन हेतु दर:

1. वाहन का प्रकार
2. मॉडल व वाहन संख्या
3. दर प्रति माह फिक्स एवं 10 किलोमीटर पर एक लीटर डीजल
अंको में
- शब्दों में

मैं प्रमाणित करता हूं कि : –

1. निविदा प्रपत्र फीस रुपये 354.00 रसीद संख्या दिनांक
2. मैंने निविदा प्रपत्र के साथ 25,000.00 रुपये अमानत राशि डी डी / नकद की अलग अलग रसीद
संख्या दिनांक द्वारा जमा करवा दिये गये है।
3. समस्त शर्त मैंने पढ़ / सुन ली है एवं मुझे मान्य है।
4. उक्त दर बिना मेरी कोई शर्त मुझे मान्य है।
5. नेगोशियेशन के पश्चात दर प्रति माह मुझे मान्य है।
6. उपरोक्त दरें आगामी एक वर्ष के लिये अनुबन्ध अनुसार मुझे मान्य होंगी।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

✓ *[Signature]* *[Signature]*

निविदा भरते समय शर्तें (बोलेरो एसी वाहन)

1. निविदादाता को संघ कार्यालय से निर्धारित निविदा प्रपत्र प्राप्त कर निविदा भरनी होगी एवं निविदा शर्त मय हस्ताक्षर संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा टैन्डर नोटिस में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी। निविदा कर्ता निविदा खोलने के स्थान पर उपस्थित रह सकेगा।
3. प्रबन्ध संचालक न्यूनतम दर पर परिवहन ठेके को दिये जाने हेतु बाध्य नहीं होंगे। प्रबन्ध संचालक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा। और ठेका निरस्त करने पर किसी प्रकार का ठेकेदार को स्पष्टीकरण नहीं दिया जावेगा।
4. ठेकेदार को स्वयं या स्वयं के कार्यालय का पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। ठेकेदार द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का मिलना माना जावेगा।
5. ठेकेदार द्वारा अधुरे एवं लापरवाही द्वारा भरे हुए निविदा फार्म को ठेकेदार टैन्डर खुलने के समय / बाद में वापस नहीं ले सकेगा।
7. बिना अमानत राशि जमा करवाये निविदा मान्य नहीं होगी एवं अमानत एवं धरोहर राशि के रूप में जमा रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. वाहन निविदादाता के स्वयं के नाम से पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी होगी अन्यथा इसके अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अगर कोई निविदादाता नया वाहन लगाना चाहता है तो निविदा खोलने की दिनांक के बाद का कार्य किया हुआ वाहन ही स्वीकार किया जावेगा एवं नये वाहन लगाने हेतु शपथ पत्र अथवा कोटेशन देनी होगी।
9. वाहन के लिये निविदा प्रपत्र के साथ 25000-00 रुपये व निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 25,000-00 रुपये कुल 50,000 (पचास हजार रुपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
10. दर को अंकों व शब्दों में भरना होगा। दर सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी।
11. निविदा स्वीकृत होते ही यह माना जावेगा की निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे। निविदा शर्तों में निविदा दाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोड़ने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन / फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नहीं होगा तथा उक्त निविदादाता का टैन्डर निरस्त कर दिया जावेगा।
12. यदि वाहन साझेदारी में हो तो किसी एक साझेदार के हस्ताक्षर करवाने चाहिये, बर्शते उसके पास पावर ऑफ अर्टोनी हो। निविदा फार्म के साथ साझेदारी डीड सलंग्न करनी होगी। साझेदारी डीड के अभाव में टैन्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
13. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओं की अमानत राशि संघ द्वारा रोकी जावेगी। द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की संघ में जमा राशि प्रथम न्यूनतम दर वाले वाहन पथ में लगने के उपरान्त ही लौटाई जा सकेगी।
14. पूर्व में यदि किसी वाहन ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है या ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया है तो निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
15. किसी कारणवश से अगर पूर्द में वाहन को हटाया गया, बीच अवधि में अनुबंध निरस्त किया गया, संघ को कोई भी हानि पहुँचाने की कोशिश की गई, संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभ्रद व्यवहार जैसा कृत्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा अस्वीकृत की जावेगी।
16. अगर कोई वाहन ठेकेदार नया वाहन लगाना चाहता है तो अपना आवेदन निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिये गये समय पर नया वाहन मय आर. सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. अगर परिवहन ठेकेदार के संघ में चार से अधिक वाहन अनुबंधित है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा, अन्यथा बाद में अतिरिक्त वाहन होने पर भी वाहन हटाया जा सकेगा।
18. परिवहन ठेकेदार को 500/- रुपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
19. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु अधिकतम एक माह तक का समय दिया जायेगा।
20. निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।
21. वाहन का मॉडल सन 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(M) ✓ DV 182

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

निविदा भरते समय शर्तें (बोलेरो एसी वाहन)

1. निविदादाता को संघ कार्यालय से निर्धारित निविदा प्रपत्र प्राप्त कर निविदा भरनी होगी एवं निविदा शर्त मय हस्ताक्षर संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा टैन्डर नोटिस में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी। निविदा कर्ता निविदा खोलने के स्थान पर उपस्थित रह सकेगा।
3. प्रबन्ध संचालक न्यूनतम दर पर परिवहन ठेके को दिये जाने हेतु बाध्य नहीं होंगे। प्रबन्ध संचालक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा। और ठेका निरस्त करने पर किसी प्रकार का ठेकेदार को स्पष्टीकरण नहीं दिया जावेगा।
4. ठेकेदार को स्वयं या स्वयं के कार्यालय का पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। ठेकेदार द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का मिलना माना जावेगा।
5. ठेकेदार द्वारा अधुरे एवं लापरवाही द्वारा भरे हुए निविदा फार्म को ठेकेदार टैन्डर खुलने के समय / बाद में वापस नहीं ले सकेगा।
6. बिना अमानत राशि जमा करवाये निविदा मान्य नहीं होगी एवं अमानत एवं धरोहर राशि के रूप में जमा रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. वाहन निविदादाता के स्वयं के नाम से पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलंगन करनी होगी अन्यथा इसके अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अगर कोई निविदादाता नया वाहन लगाना चाहता है तो निविदा खोलने की दिनांक के बाद का क्य किया हुआ वाहन ही स्वीकार किया जावेगा एवं नये वाहन लगाने हेतु शपथ पत्र अथवा कोटेशन देनी होगी।
8. वाहन के लिये निविदा प्रपत्र के साथ 25000–00 रूपये व निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 25,000–00 रूपये कुल 50,000 (पचास हजार रूपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
9. दर को अंको व शब्दो में भरना होगा। दर सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दो में लिखी गई दर मान्य होगी।
10. निविदा स्वीकृत होते ही यह माना जावेगा की निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगे। निविदा शर्तों में निविदा दाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोड़ने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन / फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नहीं होगा तथा उक्त निविदादाता का टैन्डर निरस्त कर दिया जावेगा।
11. यदि वाहन साझेदारी में हो तो किसी एक साझेदार के हस्ताक्षर करवाने चाहिये, बर्ताते उसके पास पावर ऑफ अर्टीनी हो। निविदा फार्म के साथ साझेदारी डीड सलंगन करनी होगी। साझेदारी डीड के अभाव में टैन्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओं की अमानत राशि संघ द्वारा रोकी जावेगी। द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की संघ में जमा राशि प्रथम न्यूनतम दर वाले वाहन पथ में लगाने के उपरान्त ही लौटाई जा सकेगी।
13. पूर्व में यदि किसी वाहन ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है या ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया है तो निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
14. किसी कारणवश से अगर पूर्व में वाहन को हटाया गया, बीच अवधि में अनुबंध निरस्त किया गया, संघ को कोई भी हानि पहुँचाने की कोशिश की गई, संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अप्रद व्यवहार जैसा कृत्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा अस्वीकृत की जावेगी।
15. अगर कोई वाहन ठेकेदार नया वाहन लगाना चाहता है तो अपना आवेदन निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिये गये समय पर नया वाहन मय आर. सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. अगर परिवहन ठेकेदार के संघ में चार से अधिक वाहन अनुबंधित है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा, अन्यथा बाद में अतिरिक्त वाहन होने पर भी वाहन हटाया जा सकेगा।
17. परिवहन ठेकेदार को 500/- रूपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
18. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु अधिकतम एक माह तक का समय दिया जायेगा।
19. निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
20. वाहन का मॉडल सन 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।



निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

निविदा शर्तें (बोलेरो एसी)

1. ठेका अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा, विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा 3 माह के लिये अवधि बढ़ाई जा सकती है, जो ठेकेदार को मान्य होगी।
2. निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर L2 को ठेका दिया जा सकेगा।
3. ठेका समाप्त होने पर बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अन्तिम बिल का भुगतान व धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
4. ठेकेदार के किसी भी प्रकार की वसूलियों को ठेकेदार के बकाया बिल से या धरोहर राशि / सम्पत्तियों से वसूल करने का पूर्ण अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार के कर्मचारी या प्रतिनिधि द्वारा की गई गलती हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
5. अगर ठेकेदार द्वारा ठेका बीच में छोड़ दिया जाता है तो उसकी धरोहर राशि एवं अन्य बकाया राशियां जब्त कर ली जावेगी।
6. कार्यालय की बिना अनुमति के ठेकेदार अपना ठेका दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ठेका 2000/- रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवा कर ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
7. प्रत्येक वाहन हेतु निविदा प्रपत्र के साथ 25,000–00 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) व कार्य आदेश जारी होने के पश्चात 25,000–00 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) कुल 50,000–00 रुपये (पच्चास हजार रुपये) धरोहर राशि संघ में अलग अलग जमा करवानी होगी।
8. ठेकेदार द्वारा वाहन नहीं भेजने पर कार्यालय द्वारा कोई व्यवस्था की गई तो उसका पूर्ण व्यय ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
9. वाहन में डीजल की व्यवस्था हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
10. वाहन में अनाधिकृत व्यक्ति / सवारियां / माल लाने पर चैकिंग के समय रुपये 50/- प्रति सवारी जुर्माना किया जावेगा।
11. किसी भी शर्त का उल्लंघन या कार्यालय / समिति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार अथवा आदेश की अवहेलना करने पर न्यूनतम 500 रुपये तक आर्थिक दण्ड एवं ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।
12. खड़ी गाड़ी का कोई किराया / किलोमीटर देय नहीं होगा संघ को वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर अनुबंध बीच में निरस्त किया जा सकेगा।
13. दो न्यूनतम दरों वाले निविदा दाताओं की अमानत राशि रोकी जावेगी एवं प्रबंध संचालक न्यूनतम दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होंगे।
14. ठेकेदार को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा जो कि संघ में 100 रुपये जमा करवाकर बनेगा, जिस पर ठेकेदार को एतराज नहीं होगा।
15. वाहन का माइलोमीटर सही एवं कार्यशील होना चाहिये।
16. बिना पूर्व सूचना के वाहन निर्धारित समय से आधा घण्टा लेट लाने की स्थिति में 100 रुपये जुर्माना व वाहन न भेजने की स्थिति में 1,000/- रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जावेगा एवं संघ द्वारा जो व्यवस्था की जावेगी उसकी राशि भी ठेकेदार से वसुल की जावेगी।
17. वाहन टैक्सी परमिट नम्बर (TA) पंजीकृत ही मान्य होगा।
18. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन ठेकेदार को दुर्घटना बीमा की व्यवस्था अपने स्तर पर करवानी होगी एवं बीमा पत्रों की फोटो कापी संघ कार्यालय में देनी होगी। बीमा पूरी अनुबंध अवधि में होना आवश्यक है। बीमा के अभाव में संघ या संघ स्टाफ को किसी भी प्रकार की होने वाली हानि के लिए ठेकेदार जुर्मेवार होगा एवं हानि ठेकेदार से वसुल की जावेगी।

निविदादाता हस्तक्षर

19. वाहन ठेकेदार को भुगतान हेतु बिल प्रिटेड स्वीकृत प्रारूप में हर माह में दो बार दिनांक 1 से 15, 16 से 30 / 31 तक तीन प्रतियों में निर्धारित समय में देना होगा।
20. डीजल की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं को करनी होगी। संघ द्वारा 10 किलोमीटर पर एक लीटर डीजल का भुगतान ठेकेदार को किया जावेगा। डीजल की दरें दिनांक माह की 15 तारीख एवं 30 / 31 तारीख को जो हनुमानगढ़ में होंगी उसी दर से ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा।
21. किसी भी प्रकार का जी0एस0टी0, टोल टैक्स / राहगीरी लगती है तो उसका भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा एवं उसकी समस्त जुम्मेवारी ठेकेदार की होगी एवं संघ द्वारा कोई पुनर्भरण नहीं किया जायेगा।
22. किसी भी समिति / केन्द्र के अध्यक्ष / सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा गंगमूल के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी का स्वयं का या पारिवारिक सदस्य का वाहन नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित शपथ पत्र देना होगा। ऐसा ज्ञात होने पर अनुबंध अवधि के दौरान भी वाहन को हटाया जा सकता है।
23. किसी भी परिवहन ठेकेदार के संघ में चार से अधिक वाहन अनुबंधित नहीं होने चाहिए, अन्यथा पता चलने पर अतिरिक्त वाहनों को हटाया जा सकेगा।
24. वाहन एसी मॉडल का होना चाहिए व एसी(एयर कण्डीशन प्रणाली) कार्यशील न होने पर प्रतिदिन न्यूनतम 200 रुपये जुर्माना किया जा सकेगा।
25. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य से संघ की साख / हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ठेकेदार की संघ में जमा अमानत राशि / धरोहर राशि व बकाया परिवहन बिलों की राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार का नाम काली सूची में डाला जा सकेगा।
26. वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगवाना होगा। वाहन ठेकेदार द्वारा जीपीएस सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखना आवश्यक होगा।
27. अगर संघ के कार्य हेतु वाहन राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में ले जाया जाता है तो लगने वाले प्रवेश / रोड टैक्स का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा, जिसका पुनर्भरण संघ द्वारा ठेकेदार को परिवहन बिल के साथ मूल रसीद सलंगन करने पर ही देय होगा।
28. ठेकेदार के वाहन चालक के पास टैक्सी चलाने हेतु आवश्यक परमिट वाला लाईसेंस होना आवश्यक है।

निविदादाता का पूरा नाम.....
स्थाई पता :-.....

हस्ताक्षर

नया वाहन कर लगाने हेतु Annexure-1

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मैं/ हम पुत्र श्री निवासी

शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/हैं,
कि संघ द्वारा सफल निविदादाता घोषित किये जाने पर मैं/हम नया बोलेरो एसी वाहन निर्धारित समय
अवधि में उपलब्ध करा दूंगा/ करा देंगे अन्यथा मेरी/ हमारी अमानत राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)



समिति सदस्य ना होने हेतु Annexure-2

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मैं/ हम पुत्र श्री..... निवासी
..... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/ हैं, कि मैं/ हम सघ
के किसी भी समिति/ केन्द्र के अध्यक्ष/ सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा गंगमूल के स्थायी/ अस्थायी कर्मचारी
नहीं हैं तथा ना ही कोई पारिवारिक सदस्य है। यदि यह तथ्य झूठा पाया जाता है तो मेरी/ हमारी अमानत राशि संघ
द्वारा जब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)

